ग्राम पंचायत बैहल, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक
भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बैहल, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती माया देवी	01.03.2022 से लगातार

सचिव :-

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री चुड़ामणि	01.03.2022 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बैहल के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	2.07

2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	25.24
3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	0.65
5	8(क)	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	0.36
6	8(ख)	स्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	0.01
7	9(ख)	क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना	04.70
8	9(छ)	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान नियमानुसार स्रोत पर जीएसटी टीडीएस की कटौती न करने के बारे	0.05

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट ''क''** पर दर्शाई गई है ।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बैहल, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24-04-2024 से 04-05-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	**04/22**	**05/22**
2023-24	**06/23**	**12/23**

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी

प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा । विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत बैहल, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-270 दिनांक 04.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत बैहल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्रोत व अन्य अनुदान:- ग्राम पंचायत बैहल के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्रोत व अन्य अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	2092121.35	1453973	3546094.35	2956989.22	589105.13
2023-24	589105.13	3326036	3915141.13	2785442	1129699.13

दिनांक 31.03.24 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **1129699.13**

दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank Name	**Account no.**	**Name of head**	**Closing balance as on 31.03.2023 (₹)**
H.P State Co-Operative Bank, Mandi	3170117212	Planning Head	142425
PNB Bank Pairi	9703000100005146	Planning Head	357602.65
PNB Bank Pairi	9703000100005137	Own Source & 5th State	817918.80
H.P State Co-Operative Bank,	3170111583	Own Source & 5th State	19078.73

Mandi			
H.P State Co-operative Bank, Mandi	31910122777	14th FC	0
		Total	**1337025.18**

Bank Reconcilation as on 31-03-2024	
Balance as per cash book	**1129699.13**
Balance as per Pass book	**1337025.18**
Net Difference	**207326.05**

(ii)15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत बैहल, के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	2368913	1842048	4210961	1513689	2697272
2023-24	2697272	·710095	3407367	2012802	1394565

Bank Reconcilation as on 31 03-2024			
Balance as per cash book	1394565		
add:- interst of ₹26392 taken in pass book on dated 31.12.2023, but not taken in cash book,interst of ₹21927 taken in pass book on dated 31.03.2024, but not taken in cash book	48319		**1442884**
Balance as per Pass book A/C no. 155460100001			**1442884**
Net Difference			**nil**

(iii) मनरेगा

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**ब्याज (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	0	4640229.75	0	4640229.75	4640229.75	0
2023-24	0	5704635	0	5704635	5704635	0

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹ 2.07 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹2,07,326.05** की राशि का अन्तर पाया गया। अत: मिलान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत कराया जाये ।

5. (क) पंचायत के स्वः स्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत बैहल के लेखों की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹25.24 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत बैहल द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक अनुदान ₹ 25,24,264.13 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(i), 4(ii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत बैहल द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गई है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. **(क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹0.65 लाख की वसूली न करना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत बैहल के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (घ)** अनुसार **₹ 64925** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) पंचायत राजस्व दुकान के किराए की राशि ₹0.01 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत की स्वः स्त्रौतों से प्राप्त आय का, संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दुकान के किराए के रूप में ₹900/- की राशि वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट-(ङ)** में दिया गया है जिसकी वसूली, अतिशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) विवाह रजिस्ट्रेशन फीस ₹ 0.02 लाख की वसूली न करना

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के

अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 200 प्रति रजिस्ट्रेशन तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से रजिस्ट्रेशन फीस प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत बैहल द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹ 1400** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**रजिस्टर पृष्ठ संख्या**	**रसीद संख्या**	**आवेदनकर्ता का नाम**	**विवाह की तिथि**	**पंजीकरण की तिथि**	**भुगतान योग्य राशि (₹)**	**प्राप्त राशि (₹)**	**अन्तर की राशि (₹)**
1	Nil	292872	रमन कुमार सुपुत्र श्री भूप सिंह	01.06.22	22.08.22	400	200	200
2	Nil	633840	शलिनी सुपुत्री श्री त्रिलोक चंद शर्मा	09.03.23	17.04.23	400	200	200
3	Nil	Nil	जगजीत कुमार सुपुत्र श्री चेतरम	10.08.23	25.09.23	400	200	200
4	Nil	Nil	नीरज गुलेरिया सुपुत्र श्री कृषण चंद	03.03.24	30.03.24	200	0	200
5	Nil	Nil	हिमा देवी सुपुत्री श्री चेत राम	14.11.23	21.11.23	200	0	200
6	Nil	Nil	नवीन कुमार सुपुत्र श्री चमन लाल	03.02.24	09.02.24	200	0	200
7	Nil	292847	हर्ष गुलेरिया सुपुत्र श्री मोहिंदर कुमार	05.05.22	22.06.22	400	200	200
								1400

सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-239 दिनांक 25.04.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया

जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(घ) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना राशि ₹0.08 लाख :-

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम ,2016) के बिंदु 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र सं. PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उक्त आदेशों की अनुपालना हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत बैहल, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान ₹7800 /- विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त हुए। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	**वर्ष**	**प्राप्त शुल्क (₹)**
1.	2022-23	5800
2.	2023-24	2000
	कुल जोड़	**7800**

उक्त धन राशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि (03/2023) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था जोकि उपरोक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना थी । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई. /एस.ए.डी./2024-243 दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बैहल के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि

विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गई राशि को उचित स्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतगर्त विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गई सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत बैहल, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल अलमीरा, कुर्सियाँ ही दर्ज की गई थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे। इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे हीटर पंखे बर्तन लैपटाप प्रिंटर इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 09 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गई इस योजना के अंतगर्त दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जो की गंभीर अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या %डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-256 दिनांक 30.04.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बैहल के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में

सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल संपत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा ।

8. (क) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.36 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹35771.60 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (च)** में संलग्न है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-260 दिनांक 02.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बैहल के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गई राशि को उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) स्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.01 लाख की वसूली न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत बैहल द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 559.65 की स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई

थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण **निम्न प्रकार से है :-**

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)	कटौती की दर	राशि (₹)
	VKVNY,SDP,BASP व अन्य अनुदान					
1	पवन कुमार सरकारी ठेकेदार व स्प्लाइर गाँव बेहल डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मण्डी	002/05.03.22	जेसीबी कटिंग	55965	1.00%	559.65
						559.65

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/ एस.ए.डी./2024-259 दिनांक 02.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बैहल के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः स्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

9. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.19 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹18955 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गई थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गई सामग्री पर किए

गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	1498/09.11.23	15वां वित्त आयोग	नैना हार्डवेयर & सनीटरी स्टोर गाँव व डाकघर नेरचौक तहसील बल्ह जिला मण्डी	सरिया	10130
2	2366/05.01.23	सामान्य निधि	परमार एलेक्टरो विसन नेर चौक जिला मण्डी	हीटर पिल्लर	8825
					18955

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-258 दिनांक 01.05.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत बैहल के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है की वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) क्रय की गई सामग्री ₹04.70 लाख का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी निम्न विवरणानुसार ₹ 470045 की क्रय की गई सामग्री/मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग किया गया था ।

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	शीर्ष	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	Raffi Feed Store	voucher no. 56/dated 14.12.23	IWMP	poultry items	270045
2	Himachal Pradesh khadi & vill industries board	voucher no. 57/dated 26.12.23	IWMP	agriculture tools	100000
3	Himachal Pradesh khadi & vill industries board	voucher no. 414/dated 26.12.23	IWMP	horticulture tools	100000
				कुल योग	**470045**

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-262(i) दिनांक 03.05.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत बैहल के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि क्रय की गई निर्माण सामग्री का इन्द्राज भण्डार / स्टॉक रजिस्टर में करने के उपरान्त पुष्टि करवा ली जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । अतः वर्णित अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है की स्टॉक रजिस्टर का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता ।

ग्राम पंचायत बैहल, विकास खण्ड बल्ह जिला मण्डी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बंधित वाउचरो/ बिलो को ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल के तहद की गई अदायगी को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्ट्रोलों को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था। अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्ट्रोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम के नियमों की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-257 दिनांक 01.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था । जिसे अब आपके दिशा-निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(घ) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वयन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना :-

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्विन मनरेगा के तहत उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया

जायेगा ।अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत बैहल, विकास खण्ड बल्ह जिला मण्डी (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया की ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागर दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजागर माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजागर प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजागर प्रदान किया गया	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने मे कमी
2022-23	335	48	287	737	322	322	16046	18	49234
2023-24	380	169	211	818	564	564	22758	43	57692

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पूरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है कि मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वन के प्रति गंभीर नहीं थे जो की नियमो की अवहेलना ही नहीं बल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./ एस.ए.डी./2024-262 दिनांक 03.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बैहल के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि

ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉबकार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य किर्यान्वित किये जाएँगे तथा भविष्य में जॉबकार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

(ङ) वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹20.62 लाख ज्यादा व सामान पर राशि ₹ 20.62 लाख कम व्यय करना :-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा । अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹ 41.37 लाख की जगह ₹ 20.75 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 20.62 लाख कम व्यय व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹ 62.06 लाख की जगह ₹ 82.68 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 20.62 लाख ज्यादा किया गया । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%)	सामान पर व्यय	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%)
	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)
2022-23	46.4	34.54	27.84	11.85	18.56
2023-24	57.04	48.14	34.22	8.9	22.81
कुल आय	**103.44**	**82.68**	**62.06**	**20.75**	**41.37**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-261 दिनांक 03.05.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत बैहल के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक किये गए व्यय को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा । अतः वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि **₹** 20.62 कम व मजदूरी पर निर्धारित

सीमा से राशि ₹ 20.62 लाख ज्यादा व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(च) मनरेगा निधि से संबन्धित माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत बैहल के अवधि 01-04-22 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि के व्यय वाउचरो की जांच में पाया गया कि मनरेगा निधि से चयनित माह 05/22 व 12/23 में मजदूरी मस्ट्रोलों के भुगतान का भुगतान किया गया था। जिसका मूल्यांकन माप पुस्तिका में किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था।अत : माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त माप पुस्तिका को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

(छ) संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान नियमानुसार स्रोत पर जीएसटी टीडीएस की कटौती न करने के कारण ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश जी0 एस0 टी0 अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि0प्र0 आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part-(278/25)-2950 दिनांक 28-09-2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति /फ़र्म /संस्था /स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (person/HUF/Firm/Local authority /govt. deductor) द्वारा संविदाकार संविदाकार व्यक्ति ,फ़र्म को सेवाएँ तथा वस्तुएँ प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1 %सी0जी0एस0टी0 +1% एस0जी0एस0टी0 –अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2%आई0जी0 एस0 टी0 –अंतरराजीय आपूर्ति)की दर से जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0की कटौती संबन्धित व्यक्ति/फ़र्म/संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबन्धित विभाग में जमा करवानी अपेक्षित है। सचिव द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में आपूर्तिकर्ता रफ़्फ़ी पौल्ट्री फीड स्टोर को पौल्ट्री सामाग्री की आपूर्ति के लिए ₹ 270045 की राशि का भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान स्रोत पर ₹5401 की राशि की जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 के रूप में कटौती नहीं की गई थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	सिर्ष	भुगतान राशि (₹)	कटौती की दर	राशि (₹)
1	रफ़्फ़ी पौल्ट्री फीड स्टोर,एनएच 21,नेर चौक जिला मण्डी	वाउचर संख्या 56/दिनांक 14.12.2023	पौल्ट्री सामाग्री	IWMP	270045	2.00%	**5401**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-268 दिनांक 04.05.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत बैहल के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जीएसटी टीडीएस के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्रोत पर जीएसटी टीडीएस की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था । परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपति विवरणिका:**-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13. **निष्कर्ष:**-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 19-7-24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009 2
दूरभाष नं0 –0177–2626670

का0/प्रति

20 JUL 2024

3527 - 3531

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 29/2017 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0।
5. पंजीकृत — सचिव, ग्राम पंचायत बैहल, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

20 JUL 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 19-7-24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009 9
दूरभाष नं0 –0177–2626670

का0/प्रति

परिशिष्ट-"क", पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णित पैरो का सार

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण	
1	पैरा-3	**निर्णीत**	पैरा संख्या 3 के तहत अंकेक्षण अवधि अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के अंतर्गत अंकेक्षण शुल्क 6000 बनता था,जिसे ड्राफ्ट संख्या 527639 दिनांक 16.08.2017 के माध्यम से विभाग में जमा करवा दिया गया है ।
2	पैरा-4.1	पुनः प्रारूपित	
3	पैरा-4.2	अनिर्णीत	
4	पैरा-5	पुनः प्रारूपित	
5	पैरा-6	पुनः प्रारूपित	
6	पैरा-7	अनिर्णीत	
7	पैरा-8	अनिर्णीत	
8	पैरा-9	अनिर्णीत	
9	पैरा-10	अनिर्णीत	
10	पैरा-11	**निर्णीत**	अंकेक्षण की दिशा-निर्देश के तहत ग्राम पंचायत बैहल का सामाजिक अंकेक्षण हर वर्ष नियमानुसार किया जा रहा है ।
11	पैरा-12	अनिर्णीत	
12	पैरा-13	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	12
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	9
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	2
अवधि 01.04.14 से 31.03.2023 तक के अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	19

पैरा संख्या – 5(i)

परिशिष्ट – (ख)

Financial position of own sources & other grants in aid of Gram Panchyat behal					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	2092121.35	1453973	3546094.35	2956989.22	589105.13
2023-24	589105.13	3326036	3915141.13	2785442	1129699.13

सचिव
ग्राम पंचायत बैहल
विकास खण्ड ...
...

पैरा संख्या - 4 (ii)
परिशिष्ठ - (गा)

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat behal					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	2368913	1842048	4210961	1513689	2697272
2023-24	2697272	710095	3407367	2012802	1394565

Bank Reconicilation as on 31 03-2024			
Balance as per cash book	1394565		
add:- interst of Rs 26392 taken in pass book on dated 31.12.2023, but not taken in cash book,interst of Rs 21927 taken in pass book on dated 31.03.2024, but not taken in cash book	48319		1442884
Balance as per Pass book			1442884
Net Difference			nill

सचिव
ग्राम पंचायत बैहल
विकास खण्ड हमीरपुर
(हि0प्र0)

पैरा संख्या - 6 (क)

परिशिष्ठ - (घ)

कार्यालय ग्राम पंचायत बैहल

सम्पत्तिकर के रूप में वसूली हेतु बकाया राशि का विवरण

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	कुल परिवार	कर दर	आरम्भिक शेष	मांग	योग	वसूली	वसूली हेतु शेष राशि
1	2022-23	977	25	23250	24425	47675	9125	38550
2	2023-24	1055	25	38550	26375	64925	0	64925

कार्यालय ग्राम पंचायत बैहल

किराया दुकान के रूप में वसूली हेतु बकाया राशि का विवरण

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	कुल दुकाने	कर दर	आरम्भिक शेष	मांग	योग	वसूली	वसूली हेतु शेष राशि
1	2022-23	2	300	1000	3600	4600	4100	500
2	2023-24	2	300	500	4100	3300	0	900

सचिव
ग्राम पंचायत बैहल
[illegible]

पैरा संख्या – 8 (क)

परिशिष्ठ – (ज)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
	VKVNY,SDP,BASP व अन्य अनुदान								
1	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	080/nill	बोल्डर	42750	45.00	2.24	100.80	80	8064.00
	15वां वित्त आयोग								
2	नवल किशोर & सन्स सरकारी ठेकेदार 289/03 जाईल रोड मंडी	016/28.08.23	सोलिंग स्टोन	16900	20.00	2.24	44.80	80	3584.00
3	नवल किशोर & सन्स सरकारी ठेकेदार 289/03 जाईल रोड मंडी	017/28.08.23	सोलिंग स्टोन	6760	8.00	2.24	17.92	80	1433.60
	मनरेगा								
4	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	038/12.03.22	रेत	48450	34.00	1.62	55.08	80	4406.40
5	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	040/14.03.22	कट स्टोन	109148	52.00	2.24	116.48	80	9318.40
6	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	027/26.02.22	रेत	4275	3.00	1.62	4.86	80	388.80
7	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	028/26.02.22	बजरी	3040	2.00	1.52	3.04	80	243.20
8	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	009/15.12.22	रेत	5700	2.00	1.62	3.24	80	259.20
9	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	010/15.12.21	बजरी	3040	2.00	1.52	3.04	60	182.40
10	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	005/09.12.21	रेत	5700	4.00	1.62	6.48	60	388.80
11	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	006/09.12.21	बजरी	5700	2.00	1.52	3.04	60	182.40
12	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	015/15.12.22	रेत	4275	3.00	1.62	4.86	80	388.80
13	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	016/15.12.22	बजरी	3040	2.00	1.52	3.04	80	243.20
14	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	041/15.03.22	रेत	5700	2.00	1.62	3.24	80	259.20
15	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	042/15.03.22	बजरी	3040	2.00	1.52	3.04	80	243.20
16	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	023/26.02.22	रेत	4275	3.00	1.62	4.86	80	388.80
17	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	024/26.02.22	बजरी	3040	2.00	1.52	3.04	80	243.20
18	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	014/15.12.21	बजरी	3040	2.00	1.52	3.04	60	182.40
19	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	030/26.02.22	बजरी	3040	2.00	1.52	3.04	80	243.20
20	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	031/26.02.22	रेत	4275	3.00	1.62	4.86	80	388.80
21	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	011/15.12.21	बजरी	3040	2.00	1.52	3.04	60	182.40
22	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	012/15.12.21	रेत	5700	2.00	1.62	3.24	60	194.40
23	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	021/25.01.22	बजरी	3040	2.00	1.52	3.04	60	182.40
24	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	022/25.01.22	रेत	5700	2.00	1.62	3.24	60	194.40
25	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	008/15.12.21	रेत	5700	2.00	1.62	3.24	60	194.40
26	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	043/15.03.22	रेत	5700	2.00	1.62	3.24	80	259.20
27	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	044/15.03.22	बजरी	3040	2.00	1.52	3.04	80	243.20
28	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	017/25.01.22	रेत	4275	3.00	1.62	4.86	60	291.60
29	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	018/25.01.22	बजरी	3040	2.00	1.52	3.04	60	182.40
30	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	019/25.01.22	रेत	5700	2.00	1.62	3.24	60	194.40
31	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	020/25.01.22	बजरी	6080	4.00	1.52	6.08	60	364.80
32	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	025/26.02.22	रेत	25650	16.00	1.62	25.92	80	2073.60
33	महेश कुमार सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर पैरी तहसील बल्ह जिला मंडी	007/15.12.21	बजरी	3040	2.00	1.52	3.04	60	182.40
									35771.60